

MSTP/D4 - 965

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

27/3/15
171


NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Bihar Electricity Regulatory Commission", a Commission constituted by the Government of Bihar in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of Government grants;
 - (b) amount received as licence fee from licensees in electricity;
 - (c) amount received as application processing fee; and
 - (d) interest earned on Government grants and fee received.
2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.
3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Bihar Electricity Regulatory Commission-
- (a) does not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 28/2015 F.No.196/41/2013-ITA.I]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 मार्च 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, 'बिहार विद्युत विनियामक आयोग' बिहार सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है,

अर्थात:-

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) विद्युत में लाइसेंसधारी से लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त राशि; और
- (घ) सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज और प्राप्त फीस।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी होगी; कि बिहार, विद्युत विनियामक आयोग:-

- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;
- (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

(अधिसूचना संख्या.....28...../2015 फा.स.196/41/2013-आयकर नि-1)

दीपशिखा शर्मा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।